

प्रेषक,

पंजीकृत

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

/2020-21 दिनांक 20 अगस्त - 2020

विषयः

मर्दस पब्लिक स्कूल, ग्राम लोडा, उज्जानी रोड, बदायूँ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 14-07-09 के क्रम में गठित समिति द्वारा लिये गये नियम के क्रम में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 01— विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02— विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वर्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कॉर्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- 05— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूते नहीं दिये जायेंगे।
- 06— कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 08— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 09— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीय

(डॉ प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

पृ०स०: सी०बी०एस०ई०/ १४२५-३० /2020-21 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
01 आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
02 जिलाधिकारी, बदायूँ।
03 संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।

04
05
06
✓ 07

शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ।
निरीक्षक, आंगल भाषा भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
प्रबन्धक, / प्रधानाचार्य मदर्स पब्लिक स्कूल, ग्राम लोडा बहेडी, उज्ज्वानी रोड, बदायूँ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

बरेली मण्डल, बरेली।

20-08-2020

20/08/2020